न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2010-00005RAAJu2010-056RTA223 Khangarram Vs Kanaram etc

1. खंगारराम पुत्र बींजाराम विश्नोई
2. मेकसिंह पुत्र बींजाराम विश्नोई
3. भारमल पुत्र बींजाराम विश्नोई
4. प्रभुराम पुत्र बींजाराम विश्नोई

निवासीगण आमलियावास (खेडो की ढाणी)
तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. कानाराम पुत्र किशनाराम विश्नोई
2. जोराराम पुत्र किशनाराम विश्नोई
3. रूपाराम पुत्र किशनाराम विश्नोई
4. मोहनराम पुत्र किशनाराम विश्नोई
5. हनुमानराम पुत्र किशनाराम विश्नोई
6. सहीराम पुत्र किशनाराम विश्नोई
7. चैनाराम पुत्र किशनाराम विश्नोई
8. बाबुराम पुत्र किशनाराम विश्नोई
9. प्रेमनारायण पुत्र किशनाराम विश्नोई
10. श्रीमती बीरा[redacted] पत्नी किशनाराम विश्नोई

निवासीगण आमलियावास (खेडो की ढाणी)
तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दिनांक 18 जून 2010 राजस्व वाद संख्या 93/2003 कानाराम व अन्य बनाम खंगारराम इत्यादि

----- 0 -----

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-

श्री चेतन राम जाखड, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से दस

नि र्ण य

दिनांक : 17 मार्च 2020

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 90/2003 कानाराम व अन्य बनाम खंगारराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2010 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 08 जुलाई 2010 को पेश की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से दस ने प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ राजस्व ग्राम रामनगर तहसील जोधपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 489 रकबा 110 बीघा 19 बिस्वा, खसरा संख्या 506 रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा कुल रकबा 141 बीघा 12 बिस्वास में वादीगण-रेस्पो. का ½ हिस्सा तथा प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स का ½ हिस्सा होना जाहिर करते हुए एक राजस्व वाद बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसका प्रतिवादीगण की ओर से जबाब पेश कर विरोध किया गया। दावे एवं जबाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी और पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2010 को वादीगण-रेस्पो. का दावा स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गयी जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

506 में वादीगण-रेस्पो. का केवल ¼ हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स का ¼ हिस्सा है, ¼ हिस्सा गोपाराम पुत्र मोतीराम का और ¼ हिस्सा चुतराराम पुत्र मोतीराम का है। इसी प्रकार खसरा संख्या 489 रकबा 110 बीघा 19 बिस्वा में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स का ⅓ हिस्सा , गोपाराम व चुतराराम जो वादीगण के काका है, का ⅓ - ⅓ हिस्सा है। वादीगण-रेस्पो. का इस खसरा संख्या 489 में कोई हक-हिस्सा नहीं है क्योंकि भाई-बंट में वादीगण-रेस्पो. को दूसरे खसरों में ज्यादा भूमि मिली हुई है। इन खसरान की भूमि के अलावा भी रामनगर में खसरा संख्या 738 रकबा 70 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 739 रकबा 48 बीघा 18 बिस्वा भूमि है जिसमें वादीगण-रेस्पो. का ¼ हिस्सा, प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स का ¼ हिस्सा, ¼ हिस्सा चुतराराम का तथा ¼ हिस्सा गोपाराम का है। पक्षकारान ने मौके पर अपने हिस्से अनुसार बंटवारा कर रखा है तथा अलग-अलग काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जबाब में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा इन सभी तथ्यों को जाहिर कर दिया गया, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इनके संबंध में तनकी अनुसार साक्ष्य सबूत का विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया, जो उचित नहीं है। आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के अनुसार अपीलीय मामलों के विचारण न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर तनकी अनुसार शहादत का विवेचन एवं विश्लेषण कर निर्णय पारित करना चाहिये। वादीगण-रेस्पो. के अनुसार खसरा नम्बर 610, 611, 616 एवं 617 की भूमि पुश्तैनी थी, लेकिन उसकी राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि संवत 2036 तक अकेले बींजाराम के नाम से थी, मगर अन्य भाईयों का हिस्सा होने से राजस्व अभियान में संवत 2039 में उनके नाम से दर्ज करवाई गयी। इसी प्रकार 506 एवं 489 थी जो भाई-बंट में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के पिता एवं गोपाराम व चुतराराम के बंट में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रखी, उसी के आधार पर उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोपाराम, चुतराराम द्वारा किये गये अन्य दावे के निर्णय की छायाप्रति के आधार पर वादीगण-रेस्पो. का यह दावा डिक्री करने में विधिक भूल की गयी है, अन्य दावे के निर्णय के बारे में न तो मौजूदा वाद में कोई प्लीडिग थी और न ही उसके संबध में कोई शहादत पेश की गयी थी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि वस्तुत वादग्रस्त आराजियात सन 1944, 1945 में बींजाराम के कब्जे काश्त में थी, महकमा हवाला जोधपुर गवर्नमेण्ट में इसकी लगान अदायगी की रसीद बींजा के नाम से कटी थी। सवंत 2013 की बीगोडी भी बींजा ने अदा की थी। इस प्रकार इस भूमि को किशनाराम ने न तो खरीद की और न ही उसका कब्जा काश्त था। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण-रेस्पो. ने दस्तावेजात विधिवत प्रदर्श नहीं कराये है। इसी प्रकार वादीगण-रेस्पो. की ओर से गवाह भोमाराम एवं उदयसिंह के बयान हुए ही नहीं, फिर भी निर्णय में वादीगण-रेस्पो. की ओर से उनके बयान होना लिखा है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान की खण्डपीठ द्वारा अपील/टीए/2007/4244/जैसलमेर सगतसिंह बनाम हाथीसिंह आदि में पारित निर्णय दिनांक 14 मई 2019 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पेटीशन संख्या 11352/2019 हाथीसिंह बनाम सगतसिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27 फरवरी 2020 की छायाप्रतियॉ पेश की।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात किशनाराम एवं बींजाराम ने आधी-आधी रकम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एकत्रित कर कय की थी और उसी अनुसार काश्त करते थे और उनके फौत हो जाने के बाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर बहिस्सा ½-½ काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने जबाब दावे में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स ने वादीगण-रेस्पो. के इस कथन का मना किया नहीं है और न ही कोई काउण्टर-क्लेम पेश किया है इसलिए वादीगण-रेस्पो. द्वारा बंटवारे बाबत किया गया दावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही तौर पर स्वीकार किया गया है। चुतराराम व गोपाराम के बारे में इस दावे में किये गये कथन सरासर असंगत है। इनकी ओर से पक्षकार बनने का आवेदन भी नहीं किया गया है। जमाबंदी प्रदर्श-1 संवत 2057-2060 से वादीगण-रेस्पो. के वाद की ताईद होती है। अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश की गयी, उनके संबंध में कोई विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है बल्कि किसी अन्य वाद में हुए निर्णय का हवाला देते हुए वादीगण-रेस्पो. का दावा स्वीकार कर प्राथमिक डिकी जारी की गयी। ऐसा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कायम तनकियात के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण कर तनकीवार निष्कर्ष भी पारित नहीं किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में अंकित किया गया है कि " ... राजस्व वाद गोपाराम बनाम खंगारराम में विस्तृत विवेचन एवं निर्णय किये जाने के फलस्वरूप इस वाद में प्रत्येक तनकीवार विवेचन की आवश्यकता नहीं रह जाती है। गोपाराम बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खंगारराम में हुए निर्णय दिनांक 18.6.2010 की छाया प्रति इस वाद में संलग्न की जावे।" किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसे किसी निर्णय की कोई प्रति संलग्न नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण-रेस्पो. की ओर से अपने वादपत्र में जो अभिकथन किये गये है, उनके अनुसार वादग्रस्त आराजियात में अपना ½ हिस्सा होना जाहिर किया है। प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स ने उक्त अपने जबाब में जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 506 में वादीगण-रेस्पो. का केवल ¼ हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स का ¼ हिस्सा है, ¼ हिस्सा गोपाराम पुत्र मोतीराम का और ¼ हिस्सा चुतराराम पुत्र मोतीराम का है। इसी प्रकार खसरा संख्या 489 रकबा 110 बीघा 19 बिस्वा में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स का ⅓ हिस्सा , गोपाराम व चुतराराम जो वादीगण के काका है, का ⅓ - ⅓ हिस्सा है। वादीगण-रेस्पो. का इस खसरा संख्या 489 में कोई हक-हिस्सा नहीं है क्योंकि भाई-बंट में वादीगण-रेस्पो. को दूसरे खसरों में ज्यादा भूमि मिली हुई है। इन खसरान की भूमि के अलावा भी रामनगर में खसरा संख्या 738 रकबा 70 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 739 रकबा 48 बीघा 18 बिस्वा भूमि है जिसमें वादीगण-रेस्पो. का ¼ हिस्सा, प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स का ¼ हिस्सा, ¼ हिस्सा चुतराराम का तथा ¼ हिस्सा गोपाराम का है। पक्षकारान ने मौके पर अपने हिस्से अनुसार बंटवारा कर रखा है तथा अलग-अलग काबिज है। मगर इस संबंध में कोई काउण्टर क्लेम पेश नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत खसरा गिरदावरी संवत 2024 से 2052 में आराजी खसरा संख्या 489 पर तथा खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2052 में खसरा संख्या 506 पर बींजाराम की काश्त दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विवादित आराजी ग्राम रामगढ के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2057-2060 (प्रदर्श-01) में केवल बींजाराम व किशनाराम के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ही वारिसान रिकार्डेड खातेदार है तथा दावा जोत विभाजन का है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या **एक आया वादीगण मौजा रामनगर के खसरा नम्बर 489 रकबा 110 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 506 रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा के ½ हिस्से का वादीगण के तथा ½ हिस्से का प्रतिवादीगण के बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवायें जाने के अधिकारी है? (जिम्मे वादीगण)** वादीगण-रेस्पो. के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या एक के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में तनकी संख्या **दो वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण के जारी करवाये जाने के अधिकारी है? (जिम्मे वादीगण)** का निर्णय वादीगण-रेस्पो. के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ किया जाता है।

तनकी संख्या **तीन आया वादीगण का वाद गोपाराम एवं चुतराराम के वाद के चलते चलने योग्य नहीं है? (जिम्मे प्रतिवादीगण 1 ता 4)** का निर्णय भी स्वभाविक तौर पर वादीगण-रेस्पो. के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ किया जाता है क्योंकि आलौच्य मामले में न तो पूर्ववर्ती मूलवाद की प्रति पेश की गयी है और न ही इस मामले में उक्त गोपाराम व चुतराराम पक्षकार है।

तनकी संख्या **चार आया वादीगण का वाद आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाने से चलने योग्य नहीं है? (जिम्मे प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4)** को साबित करने का दायित्व प्रतिवादीगण संख्या एक से चार पर रखा गया, किन्तु इस तनकी को सिद्ध करने के लिए प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात राजस्व अभिलेख अथवा अन्य कोई अधिकारों का प्रमाण पेश कर यह नहीं बताया गया है कि कौन-कौन आवश्यक पक्षकार प्रकरण में बनाये जाने से रह गये है। ऐसी स्थिति में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तनकी संख्या तीन का निस्तारण प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के खिलाफ एवं वादीगण-रेस्पो. के पक्ष में किया जाता है।

उपरोक्त तनकी संख्या एक से चार के संबंध में पारित निष्कर्षो के आलोक में तनकी संख्या पांच **अनुतोष** का निस्तारण करते हुए वादग्रस्त आराजियात के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी यथावत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये जाते है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 18 जून 2010 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 17/3/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
1. खंगारराम पुत्र बींजाराम विश्नोई 2. मेकसिंह पुत्र बींजाराम विश्नोई 3. भारमल पुत्र बींजाराम विश्नोई 4. प्रभुराम पुत्र बींजाराम विश्नोई निवासीगण आमलियावास (खेडो की ढाणी), तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर	ब ना म	1. कानाराम पुत्र किशनाराम विश्नोई 2. जोराराम पुत्र किशनाराम विश्नोई 3. रूपाराम पुत्र किशनाराम विश्नोई 4. मोहनराम पुत्र किशनाराम विश्नोई 5. हनुमानराम पुत्र किशनाराम विश्नोई 6. सहीराम पुत्र किशनाराम विश्नोई 7. चैनाराम पुत्र किशनाराम विश्नोई 8. बाबुराम पुत्र किशनाराम विश्नोई 9. प्रेमनारायण पुत्र किशनाराम विश्नोई 10. बीरा पत्नी किशनाराम विश्नोई निवासीगण आमलियावास (खेडो की ढाणी) तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दिनांक 18 जून 2010 राजस्व वाद संख्या 93/2003 कानाराम व अन्य बनाम खंगारराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 17 मार्च 2020 रूबरू बहाजरी अधिवक्ता श्री चेतनराम जाखड मिनजानिब अपीलाण्ट्स, अधिवक्तागण श्री बाबूलाल विश्नोई मिनजानिब रेस्पो उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 18 जून 2010 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ----------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।
बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 17 मार्च 2020 को जारी किया गया।

17/3/2020

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

17/3/2020